



जिला अजमेर के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में प्रशासनिक कार्यों के संग अभियान 2023 के आयोजन के कारण नियत तिथि से पूर्व तलब कर प्राप्त पंचायत 21/2/23 के केम्प स्थल पर रखा जाता है। सम्बन्धित पक्षकार व अभिभाषक को सूचित किया गया। पत्रावली दिनांक 9/5/23 को केम्प कोर्ट 21/2/23 में पेश हो।

दिनांक 21/2/23
पक्षकार दावेदार
पक्षकारानु को
हेतु प्रेरित किया
सहमति नहीं हुई। अतः
हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली
को पेश हो।

भाषयान 2023
कोर्ट में पेश हुई।
पत्रावली में
दिनांक 21/2/23


उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)



उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

24/2/23
पत्रावली पेश हुई। तबकील पक्षकारानु उप
पी.ओ. साहब दौरे/अभियान पर पधार है। अतः
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 22/2/23

C/N - 207/22


19/9/23

वकील शर्मा की हारा का पत्र वास्तव पत्रावली तलब कर बाद विज्ञापन करने बाबत आदेश 23 नियम 1 C.P.C. का पेश करने के बाबत पत्रावली आज नियत तिथि से पूर्व पेश हुई। वकील शर्मा एवं शर्मा द्वारा निवेदन किया गया की वह उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः शर्मा गण का हा.पत्र पत्रावली तलब कर बाद विज्ञापन करने बाबत 023R1 C.P.C. का र-वीकार किया जाकर वादीयागण का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुमार लेकर पत्रावली नम्बर दे कम देकर


करमान

3/1

1/1

21/2/23


उपरखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

[Faint handwritten notes and signatures in the bottom section of the page]